
 <p>भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग, केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड</p> <p><b>Government of India Ministry of Finance, Department of Revenue Central Board of Indirect Taxes and Customs</b></p>	 <p>सत्यमेव जयते</p>	<p>आयुक्त का कार्यालय केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर, दमण <b>Office of the Commissioner Central G.S.T. &amp; CE, Daman</b> वस्तु एवं सेवा कर भवन, आर.सी.पी. कम्पाउंड, वापी-३९६१९१ <b>G.S.T. Bhavan, RCP Compound, Vapi- 396191</b></p>
--	---	--

**commr-cexdaman@nic.in      Ph: 0260-2460305      Fax: 0260-2460484**

व्यापार सूचना - 05/2022  
**TRADE NOTICE NO. 05/2022**

वापी, दिनांक :01.09.2022  
**VAPI, DATED: 01.09.2022**

विषय: - करदाताओं द्वारा जीएसटी कार्यान्वयन की सुविधा की दिशा में कदम।

**Sub: - Step towards facilitation of GST implementation by Tax Payers.**

- व्यापार सूचना 04/2017-18 दिनांक 18.07.2017 में संशोधन करते हुए, सभी जीएसटी करदाताओं/व्यापार संघों को सूचित किया जाता है कि इस आयुक्तालय के अंतर्गत रेंज कार्यालय/मंडल कार्यालय करदाताओं की सुविधा के लिए "जीएसटी सेवा केंद्र" के रूप में काम कर रहे हैं। जीएसटी को सुचारू रूप से लागू करने के लिए यदि करदाताओं को किसी भी कठिनाई का सामना करना पड़ता है या किसी सलाह की आवश्यकता होती है तो वे तुरंत रेंज और डिवीजनों में "जीएसटी सेवा केंद्र" से संपर्क कर सकते हैं।
- In modification to the Trade Notice 04/2017-18 dated 18.07.2017, all GST Tax Payers / Trade association are informed that the Range Offices/Divisional Offices under this Commissionerate are working as "GST SEVA KENDRA" to facilitate the Tax Payers for smooth implementation of GST. If the Tax Payers faces any difficulties or needs any advice, they may immediately contact the "GST SEVA KENDRA" in the Ranges and Divisions.

2. इसके अलावा दमन आयुक्तालय के अधिकार क्षेत्र में करदाताओं की सुविधा के लिए एक "जीएसटी सेवा केंद्र" मुख्यालय में जीएसटी भवन, आरसीपी कंपाउंड, वापी दमन रोड, वापी के भूतल पर कार्यरत हैं।
2. Further one "GST SEVA KENDRA" at H.Q. level is functioning on the ground floor at GST Bhavan. RCP Compound, Vapi Daman Road, Vapi to facilitate the taxpayers under the jurisdiction of Daman Commissionerate.
3. एक अतिरिक्त उपाय के रूप में, संभागों के प्रभारी संयुक्त/अपर आयुक्त स्तर के अधिकारियों के संपर्क नंबर और ईमेल पते भी प्रसारित किए जाते हैं, करदाता किसी भी प्रकार की सहायता के लिए या किसी भी मुद्दे की रिपोर्ट करने के लिए उनसे संपर्क कर सकते हैं।
3. As an additional measure, contact numbers and Email Address of officers of the level the Joint/Additional Commissioner in-charge of the Divisions are also circulated, Tax payers may get in touch with them for any kind of assistance or to report any issues that they may be facing towards implementation of GST.

क्र.सं. Sr. No.	अधिकारी का नाम और Emp. कोड Name of the Officer S/Shri & Emp. Code	पदनाम Designation	प्रभारी प्रभाग In-charge Division	लैंडलाइन/मोबाइल नंबर Landline/ Mobile Number	ईमेल पता Email Address
(i)	प्रदीप के बोहरा, 2412 Pradeep K Bohra, 2412	आयुक्त (यथा- स्थान) Commissioner (in-situ)	Division-I, VI, VII, VIII, IX, X H.Q.	0260-2464790	Pk.bohra@gov.in
(ii)	युधस्त कुमार, 4473 Yudhast Kumar, 4473	संयुक्त आयुक्त Joint Commissioner	Division- II, III, IV, V & H.Q.	0260-2460502	yudhasth.k@gov.in

4. यदि कोई मुद्दा कर दाताओं की संतुष्टि के अनुरूप नहीं है और यदि उन्हें आयुक्त के हस्तक्षेप की आवश्यकता है, तो करदाता आयुक्त से संपर्क कर सकते हैं
4. If any issue is not addressed to the satisfaction of the Tax Payers and if they require intervention of the Commissioner, the Tax Payers may contact the Commissioner.
5. सभी ट्रेड एसोसिएशन/चेंबर ऑफ कॉमर्स और क्षेत्रीय सलाहकार समितियों के सदस्यों से अनुरोध है कि वे इस ट्रेड नोटिस की सामग्री को अपने सदस्यों/घटकों के बीच प्रकाशित करें।
5. All Trade Association/Chambers of Commerce and Members of Regional Advisory Committees are requested to publish the contents of this Trade Notice among their Members/Constituents.

एफ.सं.

वापी, दिनांक.

F.No.

Vapi, Dated:

(विक्रम वानी)

आयुक्त,

सीजीएसटी और केंद्रीय उत्पाद शुल्क,

दमन आयुक्तालय

(Vikram Wani)

Commissioner,

CGST & Central Excise,

Daman Commissionerate

Copy to: -

1. उप / सहायक आयुक्त, डिवीजन- I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX & X, दमन, GST आयुक्तालय।
1. The Deputy/Assistant Commissioner, Division-I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX & X, Daman, GST Commissionerate.

2. सहायक आयुक्त (प्रणाली) को व्यापार सूचना को दमन आयुक्तालय की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
2. The Assistant Commissioner (Systems) for uploading the Trade Notice on Daman Commissionerate website.
3. सभी व्यापार और विभाग के लिए आधिकारिक मेलिंग सूची के अनुसार।
3. All as per the official mailing list for Trade & Department.